न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन न0 **188 / 2023**

प्रार्थी :– निलेश पुत्र स्व. विरद दास, जाति साद, निवासी निम्बाखेडा, तहसील कल्याणपुर।

बनाम

विप्रार्थी :– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कल्याणपुर ।

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम वास्ते नाम दुरस्ती बाबत् ।

उपस्थित :– 1. **प्रार्थी स्वंय**
2. **विप्रार्थी :–सरकारी पैरोकार**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

'आदेश'

दिनांक :– 07.07.2023

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सक्षिप्त तथ्य है कि प्रार्थी का मौजा सरहद आसराबा चौहान, भू.अभि.नि.डोली, तहसील कल्याणपुर क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित सह–संयुक्त सामलाती खातेदारी भूमि खेत खसरा 41 रकबा 6.2321 हेक्टर, खसरा संख्या 36, 42 रकबा 5.3418, 1.6835 हेक्टर, भूमि किस्म बारानी दोयम मे मेरा नाम नरसींग, मौजा सरहद निम्बाखेडा मे स्थित खेत खसरा संख्या 135 / 43 रकबा 0.4047 हेक्टर भूमि मे प्रार्थी का नाम नरसींगदास [illegible] दास व मौजा सरहद बांकियावास खुर्द मे स्थित खे[illegible] 2. 5419 हेक्टयर मे प्रार्थी का नाम नरसिंगदास पुत्र विरदारास नाम अं[illegible] है जो कि गलती से दर्ज करवा दिया गया है । जब कि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम निलेश पुत्र विरद दास है । प्रार्थी के आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र,

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:12 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

ड्राईवरिंग लायसेन्स, पैन कार्ड व राशन कार्ड मे नाम निलेश पुत्र विरद दास नाम अंकित है व यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात मे अंकित होने से प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम निलेश पुत्र विरद दास शुद्विकरण करने का निवेदन किया गया है ।

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस भिजवाये गये। तहसीलदार कल्याणपुर से रिपोर्ट तलब की गयी । तहसीलदार कल्याणपुर के पत्र कमांक/राजस्व/2023/317 दिनांक 05.07.2023 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई । तहसीलदार कल्याणपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम निलेश पुत्र विरद दास है । जबकि फौतेदगी नामान्तरण संख्या 89, 66, 156 मे नरसींग, नरसींगदास पुत्र विरधदास भर दिया गया है। प्रार्थी के सम्पूर्ण दस्तावेजों मे निलेश पुत्र विरद दास नाम अंकित है । विरद दास का देहांत होने के उपरांत पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत वारिसान प्रमाण–पत्र मे प्रार्थी का नाम निलेश अंकित है व वर्तमान मे उक्त खसरान पर प्रार्थी काब्जा काश्त है किसी भी प्रकार का कोई स्थगन नहीं है ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

हमनें उभय पक्षकारन को सुना, तहसीलदार कल्याणपुर की तथ्यात्मक रिपोर्ट व पत्रावली मे प्रस्तुत संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया गया। बाद अवलोकन समूची स्थिति पर विवेचन करने के उपरान्त प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का शुद्व व सही नाम निलेश पुत्र विरद दास किया जाने में किसी प्रकार की आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:12 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार कल्याणपुर को सरहद मौजा असराबा चौहान, पटवार हल्का

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आसराबा,भू.नि.अ.डोली के खेत खसरा 41 रकबा 6.2321 हेक्टर, खसरा संख्या 36 रकबा 5.3418, खसरा संख्या 42 रकबा1.6835 हेक्टर, भूमि किस्म बारानी दोयम मे प्रार्थी का नाम नरसींग पुत्र विरददास व मौजा सरहद निम्बाखेडा मे स्थित खेत खसरा संख्या 135/43 रकबा 0.4047 हेक्टर भूमि व मौजा सरहद बांकियावास खुर्द मे स्थित खेत खसरा संख्या 315 रकबा 2.5419 हेक्टयर मे प्रार्थी का नाम कमशः, नरसींगदास पुत्र विरधदास व नरसिंगदास पुत्र विरदाराम अंकित है के स्थान पर प्रार्थी का शुद्व व सही नाम निलेश पुत्र विरद दास राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने के आदेश दिये जाते है ।

(विवेक व्यास)

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी

बालोतरा

आदेश आज दिनांक 07.7.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी

बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:12 IST
Reason: SelfAttested